



ऊर्जा विभाग

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2023-24 के लिए विद्युत बिक्री की नई दर निर्धारित की गई है, जिसमें विद्युत दर में 24.10% की वृद्धि की गई है। उक्त दर में बिहार सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करते हुए कुल 13114 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत अनुदान के कारण कुटीर ज्योति उपभोक्ता को विद्युत दर में 72%, ग्रामीण घरेलु उपभोक्ता को 66%, शहरी घरेलु उपभोक्ता को 44%, ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ता को 56%, शहरी व्यावसायिक उपभोक्ता को 26%, कृषि उपभोक्ता को 90% एवं औद्योगिक उपभोक्ता को 20% अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुदान के कारण विद्युत दर (एनर्जी चार्ज) वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के समान रहेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा श्रेणीवार प्रति यूनिट घोषित दर, राज्य सरकार द्वारा श्रेणीवार प्रति यूनिट घोषित अनुदान एवं अनुदान उपरान्त उपभोक्ताओं को श्रेणीवार प्रति यूनिट देय दर निम्नवत है:-


Table with columns: क्रम सं०, उपभोक्ता श्रेणी, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीईईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू टैरिफ. Rows include categories like निम्न विभव आपूर्ति, गैर घरेलू, कृषि एवं सिंचाई सेवा, and उच्च विभव आपूर्ति.

* नई विद्युत दर आदेश दिनांक 01.04.2023 की तिथि से प्रभावी है।

बिजली बिल जमा करना हुआ आसान

- 1. उपभोक्ता डेबिट/ क्रेडिट कार्ड एवं Internet Banking के माध्यम से www.sbpdc.co.in/www.nbpdc.co.in पर जा कर भुगतान कर सकते हैं।
2. SUVIDHA App/ BIHAR Bijli Bill Pay App (Google Play Store) के माध्यम से मोबाईल द्वारा भुगतान कर सकते हैं।
नोट :- ऑन लाईन माध्यम से देय तिथि के पहले भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 2.5% लाभ दिया जाएगा।

उपभोक्ता सुविधा टॉल फ्री नं०- 1912



हमारा आधार..... उज्ज्वल बिहार